संख्या-113/2024/548/23-10099(099)/127/2023

प्रेषक,

धर्मेन्द्र कुमार पाठक,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ दिनांक 05 अगस्त, 2024

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2024-2025 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57 एवं अनुदान सं0-83 के अंतर्गत जनपद देवरिया में भाटपाररानी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम खरवरिया में छोटी गण्डक नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक निर्माण कार्य एवं भूमि अध्याप्ति हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियंता(सेतु विंग), उ0प्र0, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-150/नदी सेतु/गोरखपुर क्षेत्र/सेतु-3/2022 दिनांक 03.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-2025 में राज्य योजना के अंतर्गत जनपद देवरिया में भाटपाररानी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम खरवरिया में छोटी गण्डक नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक निर्माण कार्य एवं भूमि अध्याप्ति हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उक्त सेतु की मूल स्वीकृति शासनादेश शासनादेश सं0-76/2020/427/23-9-2020-08(सेतु)/2020 दिनांक 27.03.2020 द्वारा कुल लागत रू0 1245.13 लाख की मूल स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत परियोजना हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, निम्नांकित विवरणानुसार पुनरीक्षित लागत रू0 1480.11 लाख (रूपये चौदह करोड़ अस्सी लाख ग्यारह हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रम सं0	जनपद/कार्य का विवरण	मूल स्वीकृत लागत	वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत/पुनरीक्षित लागत
1	2	3	4
1-	जनपद देवरिया में भाटपाररानी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम खरवरिया में छोटी गण्डक नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक निर्माण कार्य एवं भूमि अध्याप्ति	1245.13	1480.11
		योग-	**1480.11**

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(5) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए0-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011 दि0 25.01.2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभागाध्यक्ष द्वारा जमा की जायेगी ।

(6) विभागीय व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.12.2023 द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयररेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।

(8) आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(9) पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यों की लागत को प्रायोजना की आंकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुये लागत को आंकलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा ।

(10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा ।

(11) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुपालन तथा बजट आवंटन के उददेश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय ।

(12) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(13) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक मे जमा करायी जायेगी ।

(14) प्रायोजना मे भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि का क्रय विभागाध्यक्ष द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति के पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(16) प्रश्नगत परियोजना की मूल स्वीकृत विषयक शासनादेश की शर्तो का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) प्रश्नगत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनावंटन की कार्यवाही विभागाध्यक्ष से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के उपरांत की जायेगी ।

(18) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(19) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्युत/यांत्रिक खण्डों से संबंधित धनराशि मुख्यालय से सीधे विद्युत/यांत्रिक खण्डों (जिसके द्वारा कार्य किया जाना है) को आवंटित की जायेगी।

(20) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(21) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/ 2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(22) प्रयोजना का भविष्य में पुनरीक्षण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अनुदान सं0-57 के लेखाशीर्षक 5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-101-पुल-सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)-0421-कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य तथा अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्षक 5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-14-कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- E-8-92-X-2024-25, दिनांक 05 अगस्त, 2024 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-113/2024/548(1)/23-10099(099)/127/2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) मण्डलायुक्त, गोरखपुर /जिलाधिकारी, देवरिया ।
(3) मुख्य अभियंता(सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(4) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ ।
(5) मुख्य अभियंता, गोरखपुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, आर्दश कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
(7) संबंधित कोषाधिकारी।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(10) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।